



6111

दृष्टान्त - 2286709  
2286710

नव देश कंडा 10 अशोक नगर, लखनऊ 226001

## राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : ५७७३ / ०५ / ७६ / एक / २०१५-१६  
सेवा में,

दिनांक : ३१ मार्च 2016

बिलादिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभियान  
जनपद-वर्ती।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (हुड़ा) को अत्यसंख्यक बाहुल्य वसियों तथा मालिन वरितयों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वसियों तथा मालिन वरितयों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में गिर्वालिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु ० में)			
एक्सिस बैंक	IFSC Code	(धनराशि लाख रु ० में)	
एक्सिस बैंक	915010021963517	UTIB0000855	26 118

क्र० सं०	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मालिन	निकाय का नाम	वर्ती/वार्ड का नाम	हितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	वर्ती	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० वर्ती	वार्ड सं० १७ मो० रामश्वरपुरी (वर्मागाँव) में इस्लाम पेटर के दुकान से जर्मील अहमद, मो० रफीक के मकान होते हुए अद्युते कलाम आजाद ज०हा० तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.224
2	वर्ती	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०पा०प०-वर्ती	ओरीजोत में मक्सूद के घर होते हुए गाँव मङ्गलिया के क्रिस्तान के पास प्रह्लादी पाठशाला तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कदरज ड्रेन का निर्माण।	15.894
	यांग				26 118

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वसियों तथा मालिन वरितयों में रु०१०१० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाय-

- उपरोक्त सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वसियों तथा मालिन वरितयों में रु०१०१० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोलग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जायें।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य किसानों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो किसानों द्वारा देकान्प न कर लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्बन्धित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की विधि में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभियान मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वायव्यता के अन्तर्गत यदि काई स्वीकृत/अनापूर्त अन्य किसानों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुरितका के सुरागत प्राविधिकों के अन्तर्गत निर्माण कार्य राम्यादित कराते हुये किया जाये।



61112

दूरभाष 2286709  
2286710

नगर चेतना केन्द्र 10 अशोक मार्ग लखनऊ 220001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हरतान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में रामुवित रख—रखाव में कोई वाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही रथनीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाये। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं रत्नीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही रामय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व रथनीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित गानकों का अनुपालन भी रुचिरिक्त किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह रत्नीकृत की गई है। किरी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा। शारान द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शारान द्वारा उक्त परियोजना में आगान के सापेक्ष द्वितीय किशा की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्ट्रेज की धनराशि एवं द्वितीय किशत में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें तिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

मददीय,

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- अपर निदेशक, सूडा।।।
- अधिकारी अधिकारी—सूडा
- कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।